The question was proposed

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): Would you like to make any speech? ...*(Interruptions)*... It will be taken up for consideration later on. ...*(Interruptions)*... All right. Now there is a statement by the Minister regarding Basmati.

STATEMENT BY MINISTER

Patent on Basmati Ricelines and grains to Ricetec Inc. USA.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : उपसभाध्यक्ष महोदय, दिनांक 21 अगस्त, 2001 को मीडिया रिपोर्टों के आधार पर माननीय सदस्यों और अन्य व्यक्तियों में यह आभास कराया गया है कि एक अमेरिकी फर्म ने बासमती चावल पर पेटेंट प्राप्त कर लिया है और इस कार्रवाई से भारत के बासमती चावल के व्यापार/निर्यातों के संबंध में बुरा तथा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसा भी आभास कराया गया है कि भारत उक्त पेटेंट में संशोधन किए जाने हेतु संयुक्त राज्य पेटेंट तथा ट्रेड मार्क कार्यालय (यू.एस.पी.टी.ओ.) के सम्मुख अपना मामला "हार" गया है।

प्रारंभिक रूप में मैं सदन को निश्चित रूप से सूचित करना चाहूंगा कि ये रिपोर्टें गलत हैं और ये गलत धारणा पर आधारित हैं। वास्तव में उक्त पेटेंट के संबंध में यू.एस.पी.टी.ओ. का निर्णय भारत के लिए एक विजय का संकेत देता है। माननीय सदस्यों ने दिनांक 22 अगस्त, 2001 की बाद में छपी प्रेस रिपोर्टों को भी पढ़ा होगा, जिन्होंने पूर्व के भ्रांतिपूर्ण प्रभाव को ठीक कर दिया है। इस संबंध में तथ्य निम्न प्रकार हैं :-

बासमती राइस लाइन्स और खाद्यान्नों पर एक पेटेंट 2 सितम्बर, 1997 को यू.एस.पी.टी.ओ. द्वारा मै राइस टैक इंक., यू.एस.ए. को प्रदान किया गया था। इसके लिए एक आवेदन 8 जुलाई, 1994 को दायर किया गया था। पेटेंट पर 20 क्लेम थे।

यू.एस.पी.टी.ओ. के हाल ही के निर्णय के बाद, 15 क्लेमों को पहले ही रद्द कर दिया गया है और शेष 5 क्लेम भारत में उत्पादित बासमती की किस्मों को प्रभावित नहीं करते हैं और ये भारत के व्यापार / निर्यातों पर भी प्रभाव नहीं डालेंगे। वास्तव में पेटेंट का शीर्षक जो "बासमती राइसलाइन्स और ग्रेन्स" था, भी बदलकर अब "राइसलाइन्स बास 867 आर0टी0 1117 और 1121" कर दिया गया है। अत: अमेरिकी कंपनी इन तीन राइसलाइनों पर पेटेंट तक ही सीमित है, जो कि इसने विकसित किए हैं।

उक्त पेटेंट की मंजूरी से आमतौर पर भारत के निर्यातों को और खासतौर पर यू.एस.ए. को किये जाने वाले निर्यातों को प्रभावित नहीं किया है। वास्तव में, बासमती

चावल का कुल निर्यात पिछले वर्ष के 1780.34 करोड़ रुपये की तुलना में 2000-2001 में 2141.94 करोड रुपये की राशि का है, इसी प्रकार, 1999-2000 में अमेरिका को किया गया 70.71 करोड़ रुपये का निर्यात 2000-2001 में बढ़कर 129.34 करोड़ रुपये की राशि का हो गया है। वर्ष 1998-99 की तुलना में अमेरिका को बासमती चावल के निर्यात में छह गुना वृद्धि हुई है।

वर्ष 1997 में जब यह पेटेंट प्रदान किया गया था तब भारत सरकार ने इसे अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा माना था, चूंकि भारत व्यापक मात्रा में बासमती का निर्यात करता है और पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि यू.एस.पी.टी.ओ. के समक्ष इस पेटेंट को चुनौती देने के लिए कदम उठाये जायें।

व्यापक अंतर्मंत्रालीय परामर्शों और तकनीकी तथा कानूनी विशेषज्ञों द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसरण में यू.एस.पी.टी.ओ. में एक याचिका दायर करने का निर्णय लिया गया ताकि उन क्लेमों को चुनौती दी जा सके जिनके परिणामस्वरूप हमें यू.एस.ए. को बासमती का निर्यात करना मुश्किल हो सकता था। यह चुनौती दिनांक 27 अप्रैल, 2000 को दायर की गई थी।

सितम्बर, 2000 में, मैसर्स राइसटेक ने भारत के लिए आपत्तिजनक तीन क्लेमों तथा एक और क्लेम का भी अभ्यपर्ण किया। यू.एस.पी.टी.ओ. के निरीक्षक ने शेष सभी क्लेमों की पुन: जांच करने के लिए राइसटेक को एक नोटिस भी जारी किया। उनके अनुसरण में यू.एस.पी.टी.ओ. के 14 अगस्त, 2001 के हाल ही के निर्णय द्वारा 11 और क्लेमों को हटा दिया गया है।

शेष दावे 8,9,11,12 और 13 राइसटैक द्वारा विकसित की गयी चावल की तीन विशिष्ट किस्मों (राइस लाइन्स) से संबंधित है और उन्हें भारत द्वारा विशिष्ट रूप से कभी भी चुनौती नहीं दी गयी, क्योंकि उनसे कोई खतरा नहीं था।

दिसम्बर, 1995 में एक बासमती विकास निधि की स्थापना की गयी थी और नवम्बर, 1996 से एक निगरानी एजेंसी को नियुक्त किया गया था ताकि बासमती चावल अथवा इसके परिवर्तित रूपों के लिए नये व्यापार चिन्ह (ट्रेड मार्क) के प्रयोग पर विश्वभर में नज़र रखी जा सके। इस निगरानी एजेंसी ने ऐसे पंजीकरण करवाने के अनेक प्रयासों की पहचान की है जिनमें से 15 को यू0के0, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्पेन,

चिली, संयुक्त अरब अमीरात, आदि देशों में सफलतापूर्वक चुनौती दी गई है और निर्णय हमारे पक्ष में हुआ है। पंजीकरण के प्रयासों के शेष मामलों में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (ए.पी.ई.डी.ए.) द्वारा अन्य देशों में प्रभावी रूप मे कार्यवाही की जा रही है।

यह उल्लेखनीय है कि इस मुद्दे के संबंध में प्रस्तुत की गयी खबरें और व्यक्त की गयी शंकाएं निराधार और गलत हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): Dr. M.N. Das ...*(Interruptions)*...

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, इस स्टेटमेंट पर जो स्पष्टीकरण पूछने हैं वह बाद में पूछेंगे। ...**(व्यवधान)**...

SHRI PRANAB MUKHERJEE(West Bengal): Sir, earlier, it was decided that we would seek clarifications tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.N. CHATURVEDI): Okay. The House is adjourned till 11.00 A.M. on Friday, the 24th August, 2001.

The House then adjourned at fifteen minutes past six of the clock till eleven of the clock on Monday, the 24th August, 2001.